विषय सूची

क्रम सं.	विवरण	पृष्ठ सं.
	प्राक्कथन	(i)
1	वृहत आर्थिक रूपरेखा विवरण	1
2	मध्यावधि राजकोषीय नीति विवरण	6
3	राजकोषीय नीति कार्ययोजना विवरण	17

प्राक्कथन

राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन (एफआरबीएम) अधिनियम, 2003 घाटा कम करने हेतु विधायी कार्ययोजना की व्यवस्था करने और उसके द्वारा सरकार का ऋण मध्यावधि में धारणीय स्तरों पर लाने के दृष्टिकोण से अधिनियमित किया गया था ताकि राजकोषीय प्रबंध और दीर्घावधिक वृह्त-आर्थिक स्थिरता में अंतर-सृजनात्मक इक्विटी सुनिश्चित की जा सके।

राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन (एफआरबीएम) अधिनियम, 2003 और उक्त अधिनियम की धारा 8 के अन्तर्गत बनाई गई राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन नियमावली, 2004 दिनांक 5 जुलाई, 2004 से लागू कर दी गई है। वैश्विक वित्तीय संकटों के बाद बदले हुए बृहत आर्थिक सन्दर्भों में एफआरबीएम अधिनियम को 2012 में और फिर 2015 में संशोधित किया गया। तदन्तर एफआरबीएम नियमावली भी संशोधित की गई।

अधिनियम की धारा 7 के अन्तर्गत, संसद की स्वीकृति के बिना अधिनियम के अधीन केन्द्र सरकार पर दायित्वों के निर्वहन में किसी विपथन की अनुमति नहीं है। विपथन की स्थिति में, वित्त मंत्री को उन परिस्थितियों, जिनमें ऐसे विपथन की स्थिति उत्पन्न हुई है, को स्पष्ट करने हेतु संसद के दोनों सदनों के समक्ष वक्तव्य देना होगा; जिसमें इस बात को स्पष्ट करना होगा कि क्या इस प्रकार की विसमान्यता आवश्यक है और वास्तविक अथवा सम्भाव्य बजटीय परिणामों से सम्बन्धित है; साथ ही सरकार को प्रस्तावित सुधारात्मक उपायों का ब्यौरा भी देना होता है।

चौदहवें वित्त आयोग की अनुपालना में, राज्यों को करों के विभाज्य पूल के 42 प्रतिशत के वर्धित अंतरण के चलते केंद्र और राज्यों के बीच राजकोषीय संबंधों में बुनियादी बदलाव हुआ है। हालांकि, इसने सहकारी संघवाद को सुदृढ़ करने के सरकार के प्रयासों को मजबूत किया है, केंद्र के कर संसाधन कम हो गए हैं। केंद्र का प्रयास कर-भिन्न राजस्व और ऋण-भिन्न पूंजी प्राप्तियों के जरिए अपने संसाधन बढ़ाने पर है ताकि राष्ट्रीय विकासात्मक एजेंडे में सार्थक भूमिका जारी रखी जा सके और इक्विटी के साथ वृद्धि को बढ़ावा दिया जा सके।

भारतीय अर्थव्यवस्था विकास के मार्ग पर उत्क्रमण में हासिल प्रतिलाभों को सुदृढ़ करना और तुलनात्मक रूप से स्थिर वृहत आर्थिक माहौल हासिल करना जारी रखती है। 2016-17 में, सरकार का राजकोषीय प्रदर्शन सभी मानदंडों पर अनुमानित से बेहतर रहा है। इसने सरकार द्वारा अपनायी गई राजकोषीय नीति की कार्यनीति में विश्वास को पुनरूज्जीवित किया है, जिसने राजस्व-पूंजी असंतुलन पर सुधारों के साथ-साथ राजकोषीय सुदृढ़ीकरण अपरिहार्य बना दिया है। सरकार अपने आप को स.घ.उ. के प्रतिशत के रूप में राजकोषीय घाटे को कम बनाए रखने में सफल रही है। मोल-तोल करने में राजस्व/प्रभावी राजस्व घाटे पर राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन लक्ष्य जो हाल तक अलंध्य प्रतीत होता था, अब इसे प्राप्त किया जाना संभव प्रतीत होता है।

इस दस्तावेज में तीन नीतिगत विवरण अर्थात वृहत रूपरेखा विवरण, मध्यावधि राजकोषीय नीति विवरण और राजकोषीय नीति कार्ययोजना विवरण हैं। ये विवरण अर्थव्यवस्था की विकास संभावनाओं का आकलन देते हैं; कराधान, व्यय, बाजार उधारों और अन्य देयताओं, ऋण देना और निवेश आदि से संबंधित आगामी वित्तीय वर्ष के लिए सरकार के अंतर्निहित पूर्वानुमानों और कार्यनीतियों के साथ-साथ निर्धारित राजकोषीय संकेतकों हेतु तीन वर्षीय आवर्ती लक्ष्य प्रस्तुत करते हैं। आयोजना और आयोजना-भिन्न के विलय से संबंधित बजटीय सुधारों को ध्यान में रखते हुए एमटीएफपी विवरण में प्रस्तुतीकरण के स्वरुप में किंचित बदलाव किया गया है। अतः (अधिनियम की धारा 7 के तहत) केन्द्र सरकार पर डाली गई देयताओं से विचलन हेतु कारणों के साथ नीति विवरण संविधिक अपेक्षाओं के अनुपालन में संसद के दोनों सदनों के समक्ष रखे जाते हैं।

वृहत आर्थिक रूपरेखा विवरण 2016-17

अर्थव्यवस्था का सिंहावलोकन

भारतीय अर्थव्यवस्था की वृहत आर्थिक स्थिरता में वैश्विक बाधाओं के बावजूद वर्तमान वर्ष के पूर्वार्ध में सुधार हुआ। आर्थिक विकास मजबूत बना रहा, वैश्विक मांग में शिथिलता जारी रहने के बावजूद मौजूदा लेखा शेष में सुधार आया, राजकोषीय रूझान सुदृढ़ीकरण आयोजनाओं के अनुरूप बना रहा और मुद्रास्फीति मोटे तौर पर नियंत्रण में रही। मानसून की अच्छी वृष्टि और बेहतर फसल उत्पादन से आर्थिक विकास बढ़ाने में सहायता मिली, और सातवें वेतन आयोग के कारण भुगतान करने के कारण सरकारी व्यय में वृद्धि हुई।

सरकार के आर्थिक सुधारों के भाग के रूप में इस वर्ष अनेक नए पहल किए गए, जिनमें वस्तु और सेवा कर विधेयक को पारित कराना, व्यवहार्य आयोजना बनाने और परिवहन और संरचना की बजट व्यवस्था अनुमत करने के लिए आम बजट के साथ रेल बजट का विलय, लगभग एक महीने पहले बजट पेश कराना, शोधन अक्षमता और दिवालियापन संहिता 2016 पारित कराना, मौद्रिक नीति समिति का गठन करना तथा मुद्रास्फीति लक्ष्य को संस्थापित करना एवं विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (एफडीआई) के लिए स्वतः मार्ग पर अनेक बड़े सेक्टरों को लाकर विदेशी प्रत्यक्ष निवेश नीति व्यवस्था में परिवर्तन लाना शामिल है। इसके अतिरिक्त, किए गए पहलों में निजी क्षेत्रों की बढ़ी भागीदारी के जरिए अन्वेषण क्रियाकलापों में तेजी लाने के लिए नई राष्ट्रीय खनिज अन्वेषण नीति शुरू करना, एकीकृत भुगतान इंटरफेस (यूपीआई) और भीम (धन के लिए भारत इंटरफेस) बनाने जैसे उपायों द्वारा डिजिटल भुगतान को तेजी से अपनाने को बढ़ावा देना, गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों की महिलाओं को निःशुल्क एलपीजी कनेक्शन मुहैया कराने के लिए प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना शुरू करना, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति और महिलाओं के बीच उद्यमशीलता को बढ़ावा देने के लिए स्टार्ट-अप इंडिया कार्यक्रम शुरू करना और भारत में बौद्धिक संपदा के लिए भावी योजना तैयार करने हेतु राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा अधिकार नीति का अनुमोदन शामिल हैं।

अन्य क्षेत्रीय पहलों में निर्माण क्षेत्र की बहाली के उपाय, रोजगार सृजन और कपड़ा तथा परिधान उद्योग में निर्यात को बढ़ावा देने के लिए उपाय शामिल हैं। अन्य बातों के साथ-साथ, पद्धति को स्वच्छ बनाने और काले धन के खतरे का सामना करने के लिए, सरकार ने नवम्बर, 2016 में सभी मौजूदा 500 रुपए और 1000 रुपए की करेंसी नोटों का विधिमान्य चालन बंद करने की पहल की। इस उपाय का अल्पकालिक प्रभाव हो सकता है परंतु इसमें मध्य से दीर्घावधिक सुधार होने की संगणना है। उपर्युक्त के अतिरिक्त, पिछले वर्षों में सरकार द्वारा विनिर्माण को बढ़ावा देने, रोजगार सृजन, कारोबार करना आसान बनाने और पारदर्शिता लाने के लिए किए गए उपायों, जिनमें मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया, प्रत्यक्ष लाभ अंतरण और वित्तीय समावेशन के उपाय शामिल हैं, को मौजूदा वर्ष में भी आगे बढ़ाया गया है।

भारतीय अर्थव्यवस्था द्वारा जिस महत्वपूर्ण वृहत आर्थिक चुनौती का सामना करना पड़ा वह निवेश और बचत दरों में गिरती प्रवृत्ति से संबंधित है, जैसा कि अद्यतन उपलब्ध आंकड़ों से देखा जा सकता है। विकास में वृद्धि के साथ-साथ, फर्मों और बैंकों के तुलनपत्र में स्थायी सुधार लाना इस प्रवृत्ति में उलट फेर करने के लिए महत्वपूर्ण है। फिर भी, वैश्विक अर्थव्यवस्था में अनुभवहीनता खेती की सकारात्मक संभावनाओं जो की पृष्ठभूमि में मध्यावधिक परिदृश्य उज्ज्वल है, ग्रामीण आय बढ़ा सकती हैं, मूल्य स्थिर रख सकती है और विदेशी असुरक्षा के संकेतकों में सुधार जारी रख सकती हैं। नीति द्वारा प्रेरित अर्थव्यवस्था को औपचारिक बनाने से मध्यावधिक विकास की संभावना बढ़ सकती है।

सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि

केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा जारी किए गए पहले अग्रिम अनुमानों के अनुसार, 2016-17 में अर्थव्यवस्था में 7.1 प्रतिशत की दर से वृद्धि होने का अनुमान है, जबकि 2015-16 में 7.6 प्रतिशत की वृद्धि हासिल की गई थी। कृषि, उद्योग और सेवाओं में 2016-17 में क्रमशः 4.1 प्रतिशत, 5.2 प्रतिशत और 8.8 प्रतिशत की दर से वृद्धि होने का अनुमान है जबकि 2015-16 में यह वृद्धि क्रमशः 1.2 प्रतिशत, 7.6 प्रतिशत और 8.9 प्रतिशत थी। 2016-17 में उद्योग क्षेत्र की वृद्धि दर मुख्यतः खनन और उत्खनन में कमी तथा विनिर्माण क्षेत्र में मामूली वृद्धि के कारण गिरी। यह सेवा क्षेत्र ही था जिसमें लोक प्रशासन, रक्षा और अन्य सेवाओं से संचालित होने के कारण 2016-17 में समग्र जीवीए वृद्धि दर 7.0 प्रतिशत रही। मांग की दृष्टि से, सरकारी अंतिम उपभोग व्यय वृद्धि के लिए मुख्य कारण रहा। स्थिर कीमतों पर सावधि निवेश में वृद्धि 2015-16 में 3.9 प्रतिशत से गिरकर 2016-17 में (-) 0.2 रह गई। 2016-17 वस्तुओं और सेवाओं के निर्यात में 2.2 प्रतिशत वृद्धि होने का अनुमान है जबकि आयात में 3.8 प्रतिशत गिरावट आने का पूर्वानुमान है।

कृषि

चौथे अग्रिम अनुमानों के अनुसार, 2015-16 के दौरान 252.2 मिलियन टन खाद्यान्नों के उत्पादन का अनुमान है जबकि 2014-15 (अंतिम अनुमान) में यह 252.0 मिलियन टन था। 2015-16 में (चौथे अग्रिम अनुमान के अनुसार) चावल का उत्पादन 104.3 मिलियन टन, दाल 16.5 मिलियन टन, तिलहन 25.3 मिलियन टन, गन्ना 352.2 मिलियन टन और कपास का उत्पादन 170

किलोग्राम की 30.1 मिलियन गांठ होने का अनुमान लगाया गया है। 22 सितम्बर, 2016 को कृषि और कृषक कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी पहले अग्रिम अनुमान के अनुसार, 2016-17 के दौरान खरीफ खाद्यान्नों का उत्पादन 135.0 मिलियन टन होने का अनुमान है जबकि 2015-16 में यह 124.1 मिलियन टन था। 2016 के दक्षिणी-पश्चिमी मानसून मौसम (जून-सितम्बर) के दौरान देश में लंबी अवधि के औसत की तुलना में 3 प्रतिशत कम वृष्टि हुई।

कृषि ऋण का प्रवाह 2014-15 में ₹ 8,45,328.2 करोड़ से बढ़कर 2015-16 में ₹ 8,77,527.1 करोड़ हो गया है। 2016-17 के लिए कृषि ऋण प्रवाह का लक्ष्य ₹ 9,00,000 करोड़ रखा गया था, जिसमें से 30 सितम्बर, 2016 तक ₹ 7,55,995.2 करोड़ (अनंतिम) हासिल किया गया था।

कीमतें

लगातार तीसरे वर्ष के लिए मुद्रास्फीति नियंत्रण में रही। औसत उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) मुद्रास्फीति 2014-15 में 5.9 प्रतिशत से घटकर 2015-16 में 4.9 प्रतिशत पर आ गई। मौजूदा वित्त वर्ष में दिसम्बर तक, सीपीआई मुद्रास्फीति का औसत 4.8 प्रतिशत से दिसम्बर, 2016 में गिरकर 3.4 प्रतिशत पर आ गया, इसमें खाद्य पदार्थों की कीमतों में तेजी से आई गिरावट से सहायता मिली। उपभोक्ता खाद्य मूल्य सूचकांक पर आधारित खाद्य मुद्रास्फीति (सीएफपीआई) 2014-15 में 6.4 प्रतिशत से गिरकर 2015-16 में 4.9 प्रतिशत पर आ गई। मौजूदा वित्त वर्ष में, दिसम्बर तक इसका औसत 5.1 प्रतिशत था जो दालों और सब्जियों की कीमतों में तेजी से आई कमी के कारण दिसम्बर, 2016 में गिरकर 1.4 प्रतिशत रह गया। सीपीआई आधारित मुख्य मुद्रास्फीति (खाद्य और ईंधन समूह को छोड़कर) की स्थिति इस वित्त वर्ष के दौरान अब तक चिंताजनक बनी रही और 2015-16 में 4.6 प्रतिशत की तुलना में इसका औसत 4.8 प्रतिशत रहा।

थोक मूल्य सूचकांक (डब्ल्यूपीआई) पर आधारित औसत मुद्रास्फीति 2014-15 में 2.0 प्रतिशत से गिरकर 2015-16 में (-) 2.5 प्रतिशत रह गई। तथापि, इस गिरती प्रवृत्ति में आंशिक रूप से वैश्विक वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि के प्रभाव के कारण मौजूदा वित्त वर्ष के दौरान उलटफेर हुआ। मौजूदा वित्त वर्ष में दिसम्बर, 2016 तक डब्ल्यूपीआई मुद्रास्फीति का औसत 2.9 प्रतिशत था जो दिसम्बर, 2016 में 3.4 प्रतिशत रहा।

सरकार द्वारा किए गए चतुर खाद्य प्रबंधन और मूल्य निगरानी से मुद्रास्फीति, विशेषकर खाद्य मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने में सहायता मिली। मुद्रास्फीति को काबू में रखने और मूल्य स्थिरता बहाल करने के लिए सरकार द्वारा अनेक उपाय किए गए हैं। इन उपायों में अन्य के साथ-साथ (i) अनिवार्य वस्तुओं विशेषकर दालों की कीमत की अस्थिरता नियंत्रित करने के लिए 2016-17 के बजट में मूल्य स्थिरीकरण निधि हेतु 900 करोड़ रुपए का अधिक आवंटन; (ii) घरेलू अधिप्राप्ति और आयातों के जरिए दालों का बफर स्टॉक रखना; (iii) उच्चतर न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा करना ताकि उत्पादन को प्रोत्साहित किया जा सके; (iv) अनिवार्य वस्तु अधिनियम,1955 और काला बाजारी निवारण तथा अनिवार्य वस्तु की आपूर्ति बनाए रखना अधिनियम,1980 के तहत जमाखोरी और काला बाजारी के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करने के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को एडवाइजरी जारी करना; (v) चीनी के निर्यात पर 20 प्रतिशत शुल्क लगाना; (vi) आलू पर प्रति टन 360 अमरीकी डालर की दर पर न्यूनतम निर्यात मूल्य अधिरोपित करना; और (vii) आलू, गेहूं और पाम ऑयल पर आयात शुल्क घटाना शामिल है।

उपर्युक्त के अलावा, भारतीय रिजर्व बैंक के साथ परामर्श करके सरकार ने 5 अगस्त, 2016 से 31 मार्च, 2021 तक की अवधि के लिए सहन स्तर +/- 2 प्रतिशत के साथ 4 प्रतिशत का मुद्रास्फीति का लक्ष्य निर्धारित किया है।

उद्योग और सेवाएं

खनन, विनिर्माण और विद्युत के औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (आईआईपी) पर आधारित औद्योगिक क्षेत्रों के निष्पादन में 2015-16 की अप्रैल-नवम्बर की अवधि में 3.8 प्रतिशत की तुलना में 2016-17 की इसी अवधि में 0.4 प्रतिशत की अत्यल्प वृद्धि हुई है। क्षेत्रक वर्गीकरण के अनुसार, विनिर्माण क्षेत्र के उत्पादन में अप्रैल-नवम्बर, 2016-17 के दौरान 0.3 प्रतिशत की गिरावट आई है। विद्युत और खनन क्षेत्रों में अप्रैल-नवम्बर, 2016-17 के दौरान क्रमशः 5.0 प्रतिशत और 0.3 प्रतिशत की विकास दरें दर्ज की गईं। प्रयोग आधारित श्रेणियों में, बुनियादी वस्तुओं, मध्यवर्ती वस्तुओं और उपभोक्ता टिकाऊ वस्तुओं ने अप्रैल-नवम्बर, 2016-17 के दौरान धनात्मक वृद्धि दर्ज की जबकि पूंजी वस्तुओं और उपभोक्ता गैर-टिकाऊ वस्तुओं के क्षेत्रों में संकुचन देखा गया।

आठ महत्वपूर्ण सहायक उद्योग नामशः कोयला, कच्चा तेल, प्राकृतिक गैस, रिफाइनरी उत्पाद, उर्वरक, इस्पात, सीमेंट और विद्युत जिनका आईआईपी में लगभग 38 प्रतिशत का कुल भारांश है, में अप्रैल-नवम्बर, 2016-17 के दौरान 4.9 प्रतिशत की संचयी वृद्धि दर्ज हुई है जबकि अप्रैल-नवम्बर 2015-16 के दौरान यह वृद्धि 2.5 प्रतिशत थी। रिफाइनरी उत्पादों, उर्वरकों, इस्पात, विद्युत और सीमेंट का उत्पादन अप्रैल-नवम्बर 2016-17 के दौरान काफी बढ़ गया था जबकि कच्चे तेल, प्राकृतिक गैस का उत्पादन घट गया है। इसी अवधि के दौरान कोयला उत्पादन में कम वृद्धि हुई है।

मौद्रिक प्रबंधन और वित्तीय मध्यस्थता

सरकार ने चालू वित्त वर्ष में भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 में संशोधन किया है। संशोधित अधिनियम में, प्रत्येक पांच वर्ष में एक बार भारतीय रिजर्व बैंक के परामर्श से सरकार द्वारा मुद्रास्फीति का लक्ष्य निर्धारित करने का प्रावधान है और एक अधिकार प्राप्त मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) के गठन के लिए सांविधिक आधार का भी प्रावधान है। संशोधित मौद्रिक नीति फ्रेमवर्क के अनुसार, सरकारने 5 अगस्त, 2016 से 31 मार्च, 2021 तक की अवधि के लिए +/- 2 प्रतिशत के सहन स्तर के साथ 4 प्रतिशत मुद्रास्फीति लक्ष्य निर्धारित किया है।

तदनुसार, सरकार ने 29 सितम्बर, 2016 को एमपीसी के संविधान को अधिसूचित कर दिया। एमपीसी के संविधान के अनुसार आरबीआई के तीन सदस्य, जिनमें भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर, भारतीय रिजर्व बैंक के एक डिप्टी-गवर्नर तथा भारतीय रिजर्व बैंक का एक अधिकारी इस समिति के पदेन सदस्य होंगे तथा अन्य तीन सदस्यों की नियुक्ति सरकार द्वारा की जाएगी। अब तक एमपीसी की दो बैठकें आयोजित की जा चुकी हैं।

भारतीय रिजर्व बैंक ने अप्रैल, 2016 में अपने मौद्रिक नीति संबंधी आधार ढांचे में भी संशोधन किया जिसका उद्देश्य नियमित सुविधाएं स्थापित करके नकदी संबंधी अल्पकालिक आवश्यकताओं को पूरा करना, समंजन प्रचालनों के माध्यम से अवरोधी तथा मौसमी प्रतिकूल स्थितियों को दूर करना तथा अपने तुलन पत्र में निवल विदेशी आस्तियों तथा निवल घरेलू आस्तियों को समायोजित करके अधिक स्थायी नकदी की स्थिति को सृजित करना था। अब तक एमपीसी ने अपने लिखित संविधान का पालन किया है। 4 अक्तूबर, 2016 को आयोजित इसकी पहली बैठक में नीति दर को 25 आधार अंक कम करके 6.25 प्रतिशत कर दिया गया। एमपीसी ने अभी हाल में 7 दिसम्बर, 2016 को आयोजित की गई बैठक में अनुकूल नीतिगत उपायों को बरकरार रखते हुए नीति दर में कोई बदलाव नहीं किया है। अतः नकदी समायोजन सुविधा(एलएएफ) के अंतर्गत रिवर्स रेपो दर 5.75 प्रतिशत, तथा सीमांत स्थायी सुविधा (एमएसएफ) दर 6.75 प्रतिशत पर बनी हुई है।

वर्ष 2016-17 की पहली तिमाही के दौरान नकदी की स्थिति आम तौर पर कठोर बनी रही, तथापि, वित्त वर्ष की दूसरी और तीसरी तिमाही के दौरान इसमें पर्याप्त सुधार देखा गया। नकदी के मामले में यह सुधार मुद्रा बाजार में भी प्रदर्शित हुआ। वित्त वर्ष की दूसरी और तीसरी तिमाहियों में भारित औसत मांग मुद्रा दर (डब्ल्यूएसीआर) औसतन रेपो दर से नीचे के स्तर पर बनी रही।

बैंकिंग सेक्टर का प्रदर्शन

बैंकिंग सेक्टर और विशेषकर सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का प्रदर्शन चालू वित्त वर्ष के दौरान निम्न स्तर पर बना रहा। बैंकों की आस्ति गुणवत्ता और भी खराब हो गई। अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों का सकल अनर्जक आस्ति अनुपात मार्च और सितम्बर, 2016 के बीच 7.8 प्रतिशत से बढ़कर 9.1 प्रतिशत हो गया। अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के प्रथम स्तरीय उपयोग अनुपात में मार्च और सितम्बर, 2016 के बीच मामूली कमी आई। वर्ष 2016-17 की पहली छमाही के दौरान जोखिम प्रावधानों में वृद्धि, ऋण को बट्टे खाते में डालने तथा निवल ब्याज आय में कमी के कारण वर्षानुवर्ष आधार पर कर उपरांत में कमी देखी गई।

सितम्बर, 2016 को छोड़कर वित्त वर्ष के अन्य सभी महीनों के दौरान गैर-खाद्य ऋण (एनएफसी) बकाये में 10 प्रतिशत से कम की दर से वृद्धि हुई। औद्योगिक क्षेत्र में ऋण वृद्धि चालू वित्त वर्ष के सभी महीनों के दौरान 1 प्रतिशत से काफी नीचे के स्तर पर हुई। वास्तव में, अगस्त, अक्तूबर और नवम्बर, 2016 के दौरान औद्योगिक सेक्टर में ऋण में कमी आई है। तथापि, कृषि और संबद्ध क्षेत्रों में क्रियाकलाप तथा व्यक्तिगत ऋण खंड में बैंक ऋण की उपलब्धता का गैर-खाद्य ऋण (एनएफसी) में समग्र वृद्धि में प्रमुख योगदान जारी रहा।

विदेशी सेक्टर

वर्ष 2015-16 में भारत के वस्तु निर्यात (सीमाशुल्क आधार पर) का मूल्य 15.5 प्रतिशत घटकर 262.3 बिलियन अमरीकी डालर के स्तर पर पहुंच गया जो मुख्य रूप से वैश्विक वस्तुओं के मूल्यों में कमी तथा कमजोर मांग के कारण हुआ है। वर्ष 2016-17 (अप्रैल-दिसम्बर) के दौरान, निर्यात में 0.7 प्रतिशत की मामूली वृद्धि हुई है (निर्यात का कुल मूल्य 198.0 बिलियन अमरीकी डालर रहा है जबकि पिछले वर्ष की इसी अवधि के दौरान 197.3 बिलियन अमरीकी डालर का निर्यात हुआ था)। वर्ष 2015-16 के दौरान आयात में 15.0 प्रतिशत की कमी आई थी। वर्ष 2016-17 (अप्रैल-दिसम्बर) के दौरान 275.4 बिलियन अमरीकी डालर मूल्य का आयात हुआ जो पिछले वर्ष की इसी अवधि में हुए 297.4 बिलियन अमरीकी डालर से 7.4 प्रतिशत की कमी को सूचित करता है। पेट्रोलियम, तेल और स्नेहक (पीओएल) पदार्थों का आयात पिछले वर्ष की इसी अवधि के 68.3 बिलियन अमरीकी डालर की तुलना में 2016-17 (अप्रैल-दिसम्बर) के दौरान 10.8 प्रतिशत घटकर 60.9 बिलियल अमरीकी डालर हो गया जो मुख्य रूप से कच्चे तेल के अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों में कमी के कारण हुआ है। गैर-पीओएल वस्तुओं का आयात 2016-17 (अप्रैल-दिसम्बर) में 6.4 प्रतिशत घटकर पिछले वर्ष की इसी अवधि के 229.1 बिलियन अमरीकी डालर के मुकाबले 214.4 बिलियन अमरीकी डालर हो गया। 2016-17 (अप्रैल-दिसम्बर) के दौरान व्यापार घाटा घटकर 76.5 बिलियन अमरीकी डालर हो गया जो पिछले वर्ष की इसी अवधि के दौरान 100.1 बिलियन अमरीकी डालर था।

2016-17 की पहली छमाही के लिए उपलब्ध भुगतान शेष संबंधी आंकड़ों के आधार पर यह ज्ञात होता है कि भुगतान शेष आधारित व्यापार घाटा अप्रैल-सितम्बर,2015 के 71.3 बिलियन अमरीकी डालर से घटकर अप्रैल-सितम्बर,2016 के दौरान 49.5 बिलियन अमरीकी डालर हो गया है। निवल अदृश्य प्राप्तियां 2016-17 (अप्रैल-सितम्बर) के दौरान 45.7 बिलियन अमरीकी डालर के निम्न स्तर पर थी जबकि 2015-16 (अप्रैल-सितम्बर)के दौरान यह आंकड़ा 56.7 बिलियन अमरीकी डालर का था, जो मुख्य रूप से सेवा निर्यात में 4.0 प्रतिशत की वृद्धि के मुकाबले सेवा आयात के अपेक्षाकृत उच्च स्तर(16 प्रतिशत) पर होने तथा निवल निधि अंतरणों में मामूली कमी आने के कारण हुआ। 2016-17 (अप्रैल-सितम्बर)के दौरान 21.3 बिलियन अमरीकी डालर के निवल एफडीआई अंतर्वाह के कारण अप्रैल-सितम्बर, 2015 की तुलना में 28.8 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज हुई है जबकि 2016-17 (अप्रैल-सितम्बर) में निवल पोर्टफोलियो अंतर्वाह 8.2 बिलियन अमरीकी डालर के धनात्मक स्तर पर था जबकि पिछले वर्ष इसी अवधि के दौरान 3.5 बिलियन अमरीकी डालर का निवल बर्हिवाह दर्ज किया गया था। अप्रैल-सितम्बर, 2016 के दौरान चालू खाता घाटा 3.7 बिलियन अमरीकी डालर (सकल घरेलू उत्पाद का 0.3 प्रतिशत) दर्ज किया गया था जबकि अप्रैल-सितम्बर, 2015 में यह आंकड़ा 14.7

बिलियन अमरीकी डालर (सकल घरेलू उत्पाद का 1.5 प्रतिशत) था। भुगतान शेष आधार पर भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में 2016-17 (अप्रैल-सितम्बर) के दौरान 15.5 बिलियन अमरीकी डालर की निवल वृद्धि दर्ज की गई जबकि इसमें मूल्यन प्रभारों सहित 11.8 बिलियन अमरीकी डालर की वृद्धि दर्ज की गई। इसके फलस्वरूप विदेशी मुद्रा प्रारक्षित भंडार में वृद्धि हुई है और सितम्बर, 2016 के अंत में यह 372.0 बिलियन अमरीकी डालर के स्तर पर पहुंच गया। 6 जनवरी, 2016 की स्थिति के अनुसार विदेशी मुद्रा प्रारक्षित भंडार 359.2 बिलियन अमरीकी डालर था।

वर्ष 2016-17 (अप्रैल-दिसम्बर) में, रुपए की औसत मासिक मुद्रा विनिमय दर (भारतीय रिजर्व बैंक की संदर्भ दर) अप्रैल, 2016 में 66.47 रुपए प्रति अमरीकी डालर और दिसम्बर, 2016 में 67.90 रुपए प्रति अमरीकी डालर थी। माह-दर-माह आधार पर, रुपए का मार्च 2016 में 67.02 रुपए प्रति अमरीकी डालर से 1.3 प्रतिशत मूल्यह्रास होकर दिसम्बर,2016 में 67.90 रुपए प्रति अमरीकी डालर हो गया।

सितम्बर-अंत 2016 में भारत का विदेशी ऋण स्टॉक मार्चांत 2016 के स्तर की तुलना में 0.8 बिलियन अमरीकी डालर (0.2 प्रतिशत) की गिरावट दर्ज रहते हुए 484.3 बिलियन अमरीकी डालर था। भारत के विदेशी ऋण की परिपक्वता पद्धति दीर्घावधिक उधारों की प्रधानता इंगित करती है। सितम्बर-अंत 2016 में दीर्घावधिक विदेशी ऋण भारत के कुल विदेशी ऋण का 83.2 प्रतिशत बैठता है जबकि शेष हिस्सा (16.8 प्रतिशत) अल्पावधिक विदेशी ऋण था। विदेशी मुद्रा प्रारक्षित भंडार के प्रति अल्पावधिक विदेशी ऋण मार्चांत 2016 में 23.1 प्रतिशत की तुलना में सितम्बर-अंत 2016 में 21.8 प्रतिशत था।

केंद्र सरकार के वित्त साधन

वर्ष 2015-16 में राजकोषीय समेकन के प्रति दृढ़ प्रतिबद्धता के चलते सरकार के सक्रिय नीतिगत निर्णयों ने इस वर्ष के लिए निर्धारित सकल घरेलू उत्पाद (सघउ) के 3.9 प्रतिशत का राजकोषीय घाटा लक्ष्य प्राप्त करने का अवसर दिया था। वर्ष 2016-17 में राजकोषीय घाटे और राजस्व घाटे के क्रमशः 5,33,904 करोड़ रुपए (सकल घरेलू उत्पाद का 3.5 प्रतिशत)और 3,54,015 करोड़ रुपए (सकल घरेलू उत्पाद का 2.3 प्रतिशत) होने की बजटीय व्यवस्था की गई थी। वर्ष 2016-17 के बजट अनुमानों के अनुसार, 'प्रभावी राजस्व घाटा', जो पूंजी परिसंपत्तियों के सृजन हेतु प्रयुक्त अनुदान घटाकर राजस्व खाते में असंतुलन प्रतिबिंबित करता है, 1,87,175 करोड़ रुपए, अर्थात सकल घरेलू उत्पाद का 1.2 प्रतिशत, अनुमानित था।

बजट अनुमान 2016-17 में, 10.8 प्रतिशत कर-सकल घरेलू उत्पाद और कुल व्यय-सकल घरेलू उत्पाद अनुपात 13.1 प्रतिशत परिकल्पित किया गया है। सकल कर राजस्व में परिकल्पित वृद्धि 2015-16 के संशोधित अनुमान की तुलना में 11.7 प्रतिशत थी। कुल व्यय 2015-16 के संशोधित अनुमान की तुलना में 2016-17 के बजट अनुमान में 10.8 प्रतिशत बढ़ने का अनुमान था।

अप्रैल-नवम्बर, 2016 हेतु महालेखा नियंत्रक द्वारा जारी केंद्र सरकार के वित्त साधनों संबंधी डाटा के अनुसार, सकल कर राजस्व पिछले वर्ष की तदनुरूप अवधि की तुलना में 21.5 प्रतिशत बढ़ गया और 2016-17 के बजट अनुमान में 57.2 प्रतिशत था। कर-भिन्न राजस्व ने अप्रैल-नवम्बर, 2016 के दौरान पिछले वर्ष की तदनुरूप अवधि की तुलना में 1.0 प्रतिशत वृद्धि दर्ज की है। नवम्बर, 2016 के अंत में, ऋण-भिन्न पूंजी प्राप्तियां 2016-17 के बजट अनुमान की 48.5 प्रतिशत थी।

प्रमुख सब्सिडियां 2015-16 में तदनुरूप अवधि की तुलना में खाद्य सब्सिडी में 21,831 करोड़ रुपए की वृद्धि के कारण अप्रैल-नवम्बर, 2015 की तुलना में अप्रैल-नवम्बर, 2016 के दौरान 5.0 प्रतिशत बढ़ गई। इसके विपरीत, उर्वरक सब्सिडी में 6,547 करोड़ रुपए पैट्रोलियम सब्सिडी में 5,887 करोड़ रुपए की कमी हुई थी।

वर्ष 2016-17 (अप्रैल-नवम्बर) में बजट अनुमान का 85.8 प्रतिशत का राजकोषीय घाटा 89.2 प्रतिशत के पांच वर्ष के औसत राजकोषीय घाटे की तुलना के साथ-साथ पिछले वर्ष के 87.0 प्रतिशत के राजकोषीय घाटे से कम रहा। अप्रैल-नवम्बर 2016 का राजस्व घाटा बजट अनुमान का 98.4 प्रतिशत है जो कि पांच वर्ष की 96.4 प्रतिशत की प्रभावशाली औसत की तुलना के साथ-साथ पिछले वर्ष के 87.5 प्रतिशत के राजकोषीय घाटे की तुलना में अधिक है। वर्ष 2016-17 के संशोधित अनुमानों में राजकोषीय और राजस्व घाटे सकल घरेलू उत्पाद के क्रमशः 3.5 प्रतिशत और 2.0 प्रतिशत रहे।

संभावनाएं

वर्ष 2017-18 के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था की संभावनाओं को होने वाले वैश्विक और घरेलू घटनाक्रमों के आलोक में आंकने की आवश्यकता है। संकेत हैं कि वैश्विक आर्थिक वृद्धि धीरे-धीरे बढ़ रही है। यह भारतीय निर्यातों के लिए शुभ संकेत है जो कि वैश्विक आर्थिक गतिविधियों की सक्रियता पर अत्यधिक निर्भर हैं। दूसरी ओर, तेल और अन्य प्रमुख वस्तुओं की बढ़ती वैश्विक कीमतें आयातों के मूल्य पर अधिक दबाव डाल सकती हैं। महत्वपूर्ण विदेशी राजनीतिक घटनाक्रमों, वैश्विक ब्याज दरों में परिवर्तन और पूंजी निकासियों के चलते उत्पन्न अनिश्चितता की स्थिति से संभावनाओं पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। अपेक्षित स्तर पर पुनःमौद्रिकृत हो जाने के साथ ही, घरेलू मांग के उदार मौद्रिक नीति और घरेलू व्यापार और उपभोग में वृद्धि से अर्थव्यवस्था के सुदृढ़ होने की संभावना है। कुल मिलाकर, और बहु-पक्षीय संस्थाओं द्वारा भारत की वृद्धि के सुदृढ़ीकरण के पूर्वानुमानों के अनुसार, अर्थव्यवस्था की सांकेतिक वृद्धि वित्त वर्ष 2017-18 में 11.75 प्रतिशत होने की संभावना है।

अनुबंध-1

वृहत आर्थिक रूपरेखा विवरण
(आर्थिक निष्पादन : एक दृष्टि में)

क्र.सं.	मद	निरपेक्ष मूल्य अप्रैल-दिसम्बर		प्रतिशत परिवर्तन अप्रैल-दिसम्बर	
		2015-16	2016-17	2015-16	2016-17
संपदा क्षेत्र					
1.	बाजार मूल्यों पर सकल घरेलू उत्पाद (₹ हजार करोड़)@				
	(क) वर्तमान मूल्यों पर	13576	15193	8.7	11.9
	(ख) वर्ष 2011-2012 के मूल्यों पर	11350	12155	7.6	7.1
2.	औद्योगिक उत्पादन का सूचकांक (2004-05=100)*	177.5	178.2	3.8	0.4
3.	थोक मूल्य सूचकांक (2004-05=100)	177.3	182.3	-3.0	2.9
4.	उपभोक्ता मूल्य सूचकांकः संयुक्त (2012=100)	124.2	130.2	4.8	4.8
5.	मुद्रा आपूर्ति (एम3) (₹ हजार करोड़)	11305	12045	7.2	3.7
6.	वर्तमान मूल्यों पर आयात**				
	(क) ₹ करोड़	1926025	1848099	-9.9	-4.0
	(ख) मिलियन अमरीकी डालर	297411	275356	-15.4	-7.4
7.	वर्तमान मूल्यों पर निर्यात**				
	(क) ₹ करोड़	1278004	1333914	-12.4	4.4
	(ख) मिलियन अमरीकी डालर	197334	198808	-17.8	0.7
8.	व्यापार घाटा (मिलियन अमरीकी डालर)**	-100077	-76548	-10.4	-23.5
9.	विदेशी मुद्रा भंडार (30 दिसंबर 2016 तक)				
	(क) ₹ करोड़	23135540	2448280	14.0	5.8
	(ख) मिलियन अमरीकी डालर	350381	360297	9.3	2.8
10.	चालू खाता शेष (मिलियन अमरीकी डालर)##	-14691	-3749		
	सरकारी वित्त साधन (₹ करोड़)#				
1.	राजस्व प्राप्तियां	638056	796123	17.8	24.8
2.	कर राजस्व (निवल)	464864	621172	12.5	33.6
3.	कर-भिन्न राजस्व	173192	174951	34.9	1.0
4.	पूंजीगत प्राप्तियां (5+6+7)	504251	490558	-5.3	-2.7
5.	ऋणों की वसूली	7875	9033	9.8	14.7
6.	अन्य प्राप्तियां	12853	23529	5689.6	83.1
7.	उधार और अन्य देनदारियां	483523	457996	-7.9	-5.3
8.	कुल प्राप्तियां (1+4)	1142307	1286681	6.3	12.6
9.	आयोजना-भिन्न व्यय	844289	922492	8.2	9.3
10.	राजस्व खाता	783154	865103	8.6	10.5
	जिसमें:				
11.	ब्याज भुगतान	252599	266678	8.6	5.6
12.	पूंजी खाता	61135	57389	3.1	-6.1
13.	आयोजना व्यय	298018	364189	1.5	22.2
	जिसमें:				
14.	राजस्व खाता	200230	279231	-13.5	39.5
15.	पूंजी खाता	97788	84958	57.4	-13.1
16.	कुल व्यय (9+13)	1142307	1286681	6.3	12.6
17.	राजस्व व्यय (10+14)	983384	1144334	3.2	16.4
18.	पूंजी व्यय (12+15)	158923	142347	30.8	-10.4
19.	राजस्व घाटा (17-1)	345328	348211	-16.0	0.8
20.	राजकोषीय घाटा {16-(1+5+6)}	483523	457996	-7.9	-5.3
21.	प्राथमिक घाटा (20-11)	230924	191318	-21.0	-17.2

@ सकल घरेलू उत्पाद के आंकड़े अप्रैल से मार्च तक के हैं और वर्ष 2015-16 के आंकड़े अनंतिम अनुमान हैं और वर्ष 2016-17 के आंकड़े प्रथम अग्रिम अनुमान हैं।

* *अप्रैल-नवंबर*

** *सीमाशुल्क आधार पर (अप्रैल-दिसंबर)।* # *अप्रैल-नवंबर और महालेखा नियंत्रक, व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय द्वारा संसूचित आंकड़े।*

अप्रैल - सितंबर